उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज॰)

31-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रत्य.।
बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया
बहस वकील वादी पर गौर किया जिससे प्रस्तुत
वाद वादीनी डिक्री किये जाने उचित प्रतीत
होता है। अतः वादीनी का वाद डिक्री किया
जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर सा० मिसल किया गया। पत्रावली
बाद फैसला दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज॰)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 5/13 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 18–10–2013 श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

विमला धर्मपत्नी शंकरलाल जाति हरि0ब्रह्मण निवासी तालेडा जमात लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीनी)

बनाम

1. राधेश्याम } पि0 भौरीलाल
2. ज्ञानबाबू }
3. सुरेशचन्द }
4. शम्भूलाल } पि0 रामेश्वरप्रसाद
5. कैलाशचन्द }
6. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
7. सन्तरा बेवा ओमप्रकाश
8. ताराचन्द }
9. महेश } पि0 सूरजमल
10. कमलेश }
11. कलावती बेवा सूरजमल
12. प्रेम पुत्री सूरजमल
13. कौशल्या पुत्री सूरजमल

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 31-7-23

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र चौपड़ा एडवोकेट – वादीनी की ओर से

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की एकतरफा कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से एकतरफा कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 29/22 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 7 तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 तक के बाबत विवाद है इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है तथा आगे वादपत्र मे उक्त हिस्सा 1/4 की आराजी को आगे आराजी वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीया आराजी वादग्रस्त पर विगत 20 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर, निर्बाध रूप से काबिज रहकर आराजी वादग्रस्त पर काश्त करती आ रही है। वादीया ने आराजी वादग्रस्त को काबिले काश्त बनाने के लिए काफी मेहनत व लाखो रूपये खर्च कर समतल व उपजाउ बनाया गया है। आराजी वादग्रस्त पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 कभी काबिज नही रहे तथा आज भी प्रतिवादीगण का आराजी वादग्रस्त से कोई सरोकार वास्ता नही है। वादीया के आराजी वादग्रस्त पर काबिज होने के तथ्य की जानकारी प्रतिवादीगण को काफी अर्सा पहले से है। वादीया को आराजी वादग्रस्त से बेदखल करने की मियाद 12 वर्ष का अवसान काफी पहले हो चुका है इसलिए कब्जे के अभाव मे प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो गएण है तथा वादीया को लम्बे एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजी वादग्रस्त पर खातेदारी अधीकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः प्राप्त हो गए है। विगत दिनो जमीनो के भाव आसमान छू जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन में फितुर आ गया है तथा प्रतिवादीगण बसाज वादीया को आराजी वादग्रस्त से जबरन बेदखल कर उसका बेचान दीगर लोगो को नुमाईशी तौर पर आमादा है। विगत दिनांक 25–09–2013 को प्रतिवादीगण एकराय होकर आराजी वादग्रस्त पर आ गए तथा वादीया को ऐलानिंया धमकी दी कि वह आराजी वादग्रस्त से वादीया को जबरन बेदखल कर उसका बेचान दीगर लोगो को करेगे इसी से वाद हैतुक पैदा होकर वादीया को यह वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है। वादीया कानूनन मुश्तहक है कि वे माननीय न्यायालय से इस आशय की उद्घोषणा करावे कि वादीया आराजी खसरा नं0 29/22 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 7 मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार है। वादीया कानूनन मुश्तहक है कि वह डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण अस आशय की सादिर फरमावे कि आराजी खसरा नं0 29/22 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 7 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 प्रविष्ठि को राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाकर वादीया

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करावे। वादीया कानूनन मुश्तहक है कि वह प्रतिवादगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित करावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 आराजी वादग्रस्त मे वादीया के कब्जे काश्त में कोई दखलदांजी पैदा करे न करावे।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवदी संख्या 1 लगायत 13 की तलबी नही होने पर दिनांक 22–02–2022 को प्रतिवादी के जरिये अखबारी साया तलबी जारी करने के आदेश किये गये जो दिनांक 14–08–2022 के समाचार जगत अखबार में साया किये गये। अखबारी साया के बावजुद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की ओर से कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्व दिनांक 20–09–2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तहसीलदार लालसोट से मौका कब्जा रिपोर्ट ली जो दिनांक 18–12–13 को शामिल मिसल है तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गयी। वादी की ओर से प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी प्रदर्श– 1 पेश किया तथा गवाह पीडब्लू– 1 विमला, पीडब्लू– 2 भगवानसहाय, पीडब्लू– 3 रामराय के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल किया गया।

बहस एकतरफा वादीनी वाद सुनी गई। अधिवक्ता वादीनी ने तर्क दिया कि आराजी वादग्रस्त वादीनी की खातेदारी विगत 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज है तथा प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त पर विगत 20 वर्षो से अधिक समय से बेकब्जा है। वादीनी, प्रतिवादीगण की जानकारी तथा विरोध के बावजुद निरंतर लगातार 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज है वादीनी को बाई आपरेशन ऑफ लॉ आराजी वादग्रस्त पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त से खातेदारी अधिकारी विलुप्त हो चुके है तथा वादीनी के विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा बेदखली का वाद लाने की मियाद 12 वर्ष है जो अर्सा पूर्व गुजर चुकी है जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजी वादग्रस्त पर वादीनी के कब्जे के बारे मे उनकी जानकारी का प्रमाण है। आराजी वादग्रस्त पर प्रतिवादीगण को कभी भी काबिज नही देखा है तथा वादीनी के कब्जे काश्त के बाबत कथन किये है अधिवक्ता वादीनी ने निवेदन किया कि उसने अपना वाद प्रस्तुत अभिवचनो दस्तावेज़ात तथा साक्ष्य से पूरी तरह साबित किया है इसलिए वाद वादीनी स्वीकार कर डिक्री किया जावे। इसके समर्थन में वादीनी के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1354 एस.सी. पेश किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त आराजी पर वादीनी के कब्जे के तथ्य को देखा जाये तो यह तथ्य गवाहान भगवानसहाय, रामराय की साक्ष्य से

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

सुस्पष्ट है कि वादीनी आराजी वादग्रस्त पर विगत 20 वर्षो से अधिक समय से काबिज है, प्रतिवादीगण के आराजी वादग्रस्त पर वादीनी के कब्जे की जानकारी अर्सा करीबन 20 वर्षो पूर्व से है बावजुद इसके प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी के विरूद्व आराजी वादग्रस्त से बेदखल का वाद प्रस्तुत नही किया जिसकी मियाद वाद हैतुक जानकारी से 12 वर्ष की है इस प्रकार प्रतिवादगण को वादीनी के विरूद्व बेदखली के वाद की मियाद गुजरे भी काफी अर्सा हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का आराजी वादग्रस्त पर काबिज होने का भी कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है साथ प्रतिवादीगण का अखबारी साया के बावजुद अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित नही होना प्रतिवादीगण के अधिकारो के प्रति उपेक्षा के पक्ष को प्रमाणित करता है। सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेज व गवाहान के शपथपत्रो से यह तथ्य सुप्रमाणित है कि वादीनी आराजी वादग्रस्त पर विगत 20 वर्षो से अधिक समय से निरंतर निर्विहन तथा प्रतिवादीगण की जानकारी के बावजुद काबिज रहकर उपयोग करता आ रहा है इसलिए हमारी राय मे वादीनी का वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 29/22 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्रम सालगरामपुरा चक नं0 7 तहसील लालसोट का जिसमे हिस्सा 1/4 पर वादीनी को उद्घोषित कर खातेदारी काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीनी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-7-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा

बइजलास – श्री बृजेन्द्र मीना आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2013 दिनांक रजु : 18–10–2013

पीठासीन अधिकारी : श्री बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

विमला धर्मपत्नी शंकरलाल जाति हरि0ब्रह्मण निवासी तालेडा जमात लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीनी)

बनाम

1. राधेश्याम } पि0 भौरीलाल
2. ज्ञानबाबू }
3. सुरेशचन्द }
4. शम्भूलाल } पि0 रामेश्वरप्रसाद
5. कैलाशचन्द }
6. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश
7. सन्तरा बेवा ओमप्रकाश
8. ताराचन्द }
9. महेश } पि0 सूरजमल
10. कमलेश }
11. कलावती बेवा सूरजमल
12. प्रेम पुत्री सूरजमल
13. कौशल्या पुत्री सूरजमल

समस्त जाति ब्रह्मण निवासी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 31-7-23

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र चौपडा एडवोकेट – वादीनी की ओर से
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....व हाजिरी .....मिनजाबिन मुद्दई रूबरू .....मिनजाबिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी बाबत् वाद अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर आराजी खसरा नं. 29/22 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्रम सालगरामपुरा चक नं0 7 तहसील लालसोट का जिसमे हिस्सा 1/4 पर वादीनी को उद्घोषित कर खातेदारी काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीनी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड कर अमल दरामद करवाया जावे तदनुसार उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख मे पालना करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करें।

निज .....मुबलिग .....बाबत .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सलाना आज की तारीख से मारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 7 सन 2023को जारी की गई।

दस्तखत.....

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस गवाहान		
फीस गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्माना		
बाबत इजराय हुक्माना			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	Nil	Nil	मीजान	Nil	Nil

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)